

कार्यालय
प्रधानाचार्य
श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
हण्डिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-221503

पत्रांक: 1295/2025-26

दिनांक - 07-11-2025

सभी संकाय सदस्य

दिनांक 1 नवम्बर 2025 को महाविद्यालय की शैक्षणिक समिति की बैठक की कार्यवृत्ति एवं उनके निर्णय एवं उनके आधार संदर्भ आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विषय में किसी भी बिन्दु पर असहमति या सुझाव है तो शिक्षा पटल को 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध करा दे। असहमति या सुझाव उपलब्ध न होने की स्थिति में यह निर्णय यथा स्वरूप लागू माना जाएगा।



प्राचार्य
(प्रो० केदार नाथ)

05/534
07-11-2025

दिनांक: 07-11-2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य

श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

हण्डिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-221503

महोदय,

दिनांक 1 नवम्बर 2025 को महाविद्यालय की शैक्षणिक समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार, NCISM एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से प्राप्त निम्न संदर्भों पर गहन विचार किया गया।

1. Extraordinary Gazette Notification of Govt. of India No. CG-DL-E-17022022-233547 dated 16.02.2022 regarding regulation called National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations-2022.
2. NCISM Ref. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MSE) dated 14.11.2023 regarding Explanation off batch student and failed subject.
3. MGGAU, GORAKHPUR Ref. No. म० गु० गो० आ० वि०/वि० परी०-2/2023-2024/1225 dated 31.01.2024.
4. NCISM Ref. No. BOA/Electives/17-7/2024 (Part III) 30.12.2024 regarding Guidelines for electives in ASUS undergraduate programs

विचारोपरांत निष्कर्ष निम्न तालिका रूप में प्रस्तुत है।

प्रथम व्यवसायिक वर्ष मुख्य परीक्षा		
1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक	अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
2	सभी विषयों में उत्तीर्ण	Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Detained उपलब्ध प्रथम व्यवसायिक वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
प्रथम व्यवसायिक वर्ष पूरक परीक्षा		
1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक	यथावत
2	परीक्षा फल: 1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह अ) वाले पास होने पर	Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	परीक्षा फल: 1/2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
5	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा में 2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Promoted उपलब्ध द्वितीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षा करेंगे
6	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह स)	Fail & Detained उपलब्ध प्रथम व्यवसायिक वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
7	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Detained उपलब्ध प्रथम व्यवसायिक वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
पुनः पूरक परीक्षा		
1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक	यथावत
2	पूरक परीक्षा फल: 1/2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Promoted अपने बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	पूरक परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पुनः पूरक परीक्षा में 2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Promoted उपलब्ध द्वितीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षा करेंगे
5	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह स)	Fail & Detained उपलब्ध प्रथम व्यवसायिक वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
6	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Detained उपलब्ध प्रथम व्यवसायिक वर्ष के साथ कक्षा करेंगे

द्वितीय व्यवसायिक वर्ष मुख्य परीक्षा

1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक		अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
2	सभी विषयों में उत्तीर्ण	Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Detained	उपलब्ध द्वितीय वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
पूरक परीक्षा			
1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक		यथावत
2	परीक्षा फल: 1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण (समूह अ) वाले पास होने पर	Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	परीक्षा फल: 1/2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
5	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा में 2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Promoted	उपलब्ध तृतीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षा करेंगे
6	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह स)	Fail & Detained	उपलब्ध द्वितीय वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
7	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Detained	उपलब्ध द्वितीय वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
पुनः पूरक परीक्षा			
1	परीक्षा समाप्त होने से परिणाम आने तक		यथावत
2	पूरक परीक्षा फल: 1/2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह अ)	Fail & Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
3	1/2 विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Promoted	अपने बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
4	पूरक परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परंतु पुनः पूरक परीक्षा में 2 विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह ब)	Fail & Promoted	उपलब्ध तृतीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षा करेंगे
5	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण (समूह स)	Fail & Detained	उपलब्ध द्वितीय वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
6	परीक्षा फल: 2 से अधिक विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण परंतु पूरक परीक्षा फार्म नहीं भरा	Fail & Detained	उपलब्ध द्वितीय वर्ष के साथ कक्षा करेंगे
अंतिम व्यवसायिक वर्ष मुख्य परीक्षा			
1	सभी विषयों में उत्तीर्ण	Promoted	इन्टर्नशिप करेंगे
2	किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण	Fail	उपलब्ध बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
पूरक परीक्षा			
1	सभी विषयों में उत्तीर्ण	Promoted	इन्टर्नशिप करेंगे
2	किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण	Fail	उपलब्ध बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे
पुनः पूरक परीक्षा			
1	सभी विषयों में उत्तीर्ण	Promoted	इन्टर्नशिप करेंगे
2	किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण	Fail	उपलब्ध बैच के साथ तृतीय व्यवसायिक की कक्षा करेंगे

नोट:

- उक्त प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक छात्र सभी विषयों में पास न हो जाय अथवा अग्रिम सत्र में प्रोमोट होने की अहर्ता (दो या कम विषयों में अनुत्तीर्ण) प्राप्त न कर लो।
- अंतिम व्यवसायिक परीक्षा से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक के समस्त विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- सभी छात्रों की नियमानुसार कक्षा में 75% उपस्थिति आवश्यक है।
- इन्टर्नशिप के लिए पात्र होने के लिए छात्र को अपने प्रवेश तिथि (ncism शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार) से अधिकतम 10 वर्ष में 9 इलेक्टिव के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा अंतिम पात्रता हो जाने पर अधिकतम 3 वर्ष में इन्टर्नशिप पूरी करना भी अनिवार्य है।

के क्रम में दिनांक 1 नवम्बर 2025 को महाविद्यालय की शैक्षणिक समिति निम्न निर्णय पास करती है -

1. 2021 बैच के वह छात्र, जिन्होंने द्वितीय व्यवसायिक मुख्य परीक्षा नहीं दी है, छोड़ दी अथवा द्वितीय व्यवसायिक मुख्य परीक्षा में 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है, 2022 बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षाएँ करेंगे।
2. 2022 बैच के वह छात्र, जो पूर्व में प्रथम व्यवसायिक में 2 विषयों में अधिक में अनुत्तीर्ण थे परंतु वर्तमान में (पूरक परीक्षा के बाद) प्रथम व्यवसायिक में 1 / 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रह गए हैं, वह 2023 बैच के साथ द्वितीय व्यवसायिक वर्ष की कक्षाएँ करेंगे।
3. 2022 बैच के वह छात्र, जिन्होंने प्रथम व्यवसायिक पूरक परीक्षा छोड़ दी या फॉर्म नहीं भरा या अभी भी 2 विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण है, 2024 बैच के साथ प्रथम व्यवसायिक वर्ष की कक्षाएँ करेंगे।
4. 2023 बैच के वह छात्र, जिन्होंने प्रथम व्यवसायिक परीक्षा छोड़ दी या फॉर्म नहीं भरा या 2 विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण है, 2024 बैच के साथ प्रथम व्यवसायिक वर्ष की कक्षाएँ करेंगे।

सभी निर्णय सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य व पूरक परीक्षा समय सारणी के आधार पर से लिए गए हैं। अतएव आपसे अनुरोध है कि इस संदर्भ में आदेश निर्गत करने की कृपा करें।



भवदीय


प्रो० (डा०) सामू प्रसाद पाल

11. परीक्षा— (ए) (i) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी तथा पूर्ण की जाएगी।
- (ii) वे छात्र जो, प्रथम व्यावसायिक के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें द्वितीय व्यावसायिक सत्र की शर्त रखते हुए तथा द्वितीय व्यावसायिक सत्र में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
- (iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यावसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रथम व्यावसायिक की बाद की पूरक परीक्षा प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएगी।
- (बी) (i) दूसरी व्यावसायिक परीक्षा आमतौर पर आयोजित की जाएगी और दूसरे व्यावसायिक सत्र के अंत तक पूरी की जाएगी।
- (ii) द्वितीय व्यावसायिक के एक या दो विषयों में असफल होने वाले छात्र को तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र की अवधि रखने की अनुमति दी जाएगी।
- (iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और द्वितीय व्यावसायिक की बाद की पूरक परीक्षाएं हर छह महीने में आयोजित की जाएगी।
- (सी) (i) तीसरी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा आमतौर पर आयोजित की जाएगी और तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के अंत तक पूरी की जाएगी।
- (ii) तीसरी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले छात्रों को पहले और दूसरे व्यावसायिक के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा एवं 9 ऐच्छिक अर्हताओं में उत्तीर्ण होना होगा।
- (iii) तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के बाद की अनुपूरक परीक्षा प्रत्येक 6 महीने में आयोजित की जाएगी।
- (डी) विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो टर्म नहीं रख सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमित बैच या जूनियर बैच के साथ कक्षा में शामिल होना होगा।
- (ई) अनिवार्य परिभाषी विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के लिए पात्र बनने के लिए, सभी तीन व्यावसायिक परीक्षाएं प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर 9 ऐच्छिक में उत्तीर्ण करनी होंगी।
- (एफ) थिअरी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के लिए 10 प्रतिशत अंक, लघु प्रश्नों (एसएक्यू) के लिए 40 प्रतिशत अंक और दीर्घ प्रश्नों (एलएक्यू) के लिए 40 प्रतिशत अंक होंगे और ये प्रश्न विषय के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।
- (जी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय में थिअरी के लिए 50 प्रतिशत और व्यवहारिक घटक (जिसमें व्यावहारिक, नैदानिक, साक्षात्कार, आंतरिक मूल्यांकन और ऐच्छिक जहां भी लागू हो) में 50 प्रतिशत होंगे।
- (एच) ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन—ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन कोर्स एवं परीक्षा में उपस्थिति और मूल्यांकन से किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, छात्रों को क्रेडिट के साथ-साथ ग्रेड भी प्रदान किए जाएंगे—
- (i) मॉड्यूलर कार्यक्रम के कम से कम 5 घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और एक छात्र प्रत्येक ऐच्छिक के लिए अधिकतम 5 क्रेडिट अर्जित कर सकेगा।
- (ii) मूल्यांकन प्रत्येक माड्यूल के अंत में किया जाएगा और ग्रेडिंग के लिए 5 मॉड्यूलर मूल्यांकनों के औसत पर विचार किया जाएगा अर्थात् 25 प्रतिशत तक कांस्य, 26-50 प्रतिशत तक रजत, 51-75 प्रतिशत तक स्वर्ण तथा 76 प्रतिशत और इसके ऊपर प्लैटिनम।
- (iii) ऐच्छिक विषयों की संरचना निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी, अर्थात् —

तालिका— 6

(ऐच्छिक की संरचना)

प्रत्येक ऐच्छिक नौ घंटे के पांच मॉड्यूल प्रत्येक (5* 9= 45)					
क्रम संख्या	घटक	अवधि (घंटे)		क्रेडिट्स	ग्रेड
		मॉड्यूल	ऐच्छिक		
1	शिक्षण	5	25	प्रत्येक मॉड्यूलर कार्यक्रम के कम से कम पांच घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट। अधिकतम पांच क्रेडिट	ग्रेड सभी पांच मॉड्यूलर मूल्यांकन के औसत के आधार पर सम्मानित किया जाता है।
2	मार्गदर्शित शिक्षा	2	10		कांस्य: <25 प्रतिशत।
3	विशेषज्ञ मार्गदर्शन / प्रतिक्रिया	1	5		रजत: 26-50 प्रतिशत।
4	मूल्यांकन	1	5		स्वर्ण: 51-75 प्रतिशत। प्लैटिनम: 76 प्रतिशत और उससे अधिक।



- 11 Examination.-** (a) (i) The First Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of First professional session;
- (ii) the student who failed in one or two subjects of First Professional shall be allowed to keep terms of the Second Professional session and to appear in Second Professional examination;
- (iii) the student who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep term in Second Professional session and the subsequent supplementary examination of First Professional shall be held at every six months.
- (b) (i) The Second Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Second Professional session;
- (ii) the student who failed in one or two subjects of Second Professional shall be allowed to keep the term of the Third (Final) Professional session;
- (iii) the student who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep term in Third (Final) Professional session and the subsequent supplementary examinations of Second Professional shall be held every six months.
- (c) (i) The Third (Final) Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Third (Final) Professional session.
- (ii) Before appearing for Third (Final) Professional examination the students shall have to pass all the subjects of first and second professional and shall qualify nine electives.
- (iii) The subsequent supplementary examination of Third (Final) professional will be held at every six months.
- (d) There shall be no separate class for odd batch student (those students who could not keep the term) and the student has to attend the class along with regular batch or with junior batch as applicable.
- (e) To become eligible for joining the Compulsory Rotatory Internship programme, all three professional examinations shall be passed and qualified in nine electives within a period of maximum ten years from the date of admission.
- (f) The theory examination shall have twenty per cent. marks for Multiple Choice Questions (MCQ), forty per cent. marks for Short Answer Questions (SAQ) and forty per cent. marks for Long Explanatory Answer Questions (LAQ) and these questions shall cover the entire syllabus of the subject.



॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय: 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डीब्लॉक नई दिल्ली-110058
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: 61-65, Institutional Area, Janakpuri, D-Block New Delhi-110058

दूरभाष / Phone
समापति/ Chairman: 28525156
सचिव / Secretary: 28525847
कार्यालय / Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax: 28520878
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक / Ref. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MSE)

दिनांक / Dated: 14.11.2023

To,

The Registrar of All Universities having Ayurveda, Siddha, Unani & Sowa-Rigpa (ASUS) Colleges,
All Principals of ASUS Colleges,

Subject: - Explanations regarding odd batch students and failed subjects.

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above and in reference of doubts put forwarded by few colleges regarding odd batch and failed subjects, the commission is hereby explaining the following in accordance with the concerned National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda/ Siddha/ Unani /Sowa-Rigpa (MSE) Education) Regulations, 2022.

References:-

1. Regulation 11 under National Commission for Indian System of Medicine, (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education), Regulations, 2022.
2. Regulation 10 under National Commission for Indian System of Medicine, (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education), Regulations, 2022.
3. Regulation 10 under National Commission for Indian System of Medicine, (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education), Regulations, 2022.
4. Regulation 10 under National Commission for Indian System of Medicine, (Minimum Standards of Undergraduate Sowa- Rigpa Education), Regulations, 2022.

In respect of the above-mentioned regulations, it is explained that:-

1. The failed students in one or two subjects may be termed as 'Failed but Promoted'.
2. The failed students in more than two subjects may be termed as 'Failed and Detained'.
3. 'Failed but promoted' students shall be eligible to keep the term along with their regular batch and to appear in the respective professional examination with their regular batch. However, the student may appear for subsequent supplementary examinations to pass the failed subjects.
4. Whereas the 'Failed and Detained' students shall not be eligible to keep the term with their regular batch and to appear in respective professional examinations with their regular batch.
5. The 'Failed and Detained' students may appear for subsequent supplementary examinations until the student gets eligibility for promotion to the next higher professional session and joins the available batch of the next professional session, as detailed below:

(a) If joined in the middle of the next higher professional session, then continue till that batch appears for the respective university examination, and then continue with the junior batch for the remaining duration of the study and appear for university examinations as and when they get eligibility for respective professional university examinations.

2

- (b) If joined during the commencement of the batch of the next higher professional session then continue with the same batch and appear in respective professional university examinations with the same batch on fulfilling the eligibility criteria for appearing in respective professional university examinations.
6. Before appearing for Third (Final) Professional examination, the student shall have to pass all subjects of First and Second Professional and shall qualify nine electives.

This is issued with the approval of competent authority.


14/11/2023

(Dr. Siddalingesh M. Kudari)
Secretary I/c
NCISM

सचिव
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
नई दिल्ली-110058

Copy to:-

1. The Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi- 110058
2. The President, Board of Ayurveda, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi- 110058.
3. Guard file

(Dr. Siddalingesh M. Kudari)
Secretary I/c
NCISM

हायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भटहट, गोरखपुर।

संख्या:-म0गु0गो0आ0वि0/वि0परि0-2/2023-2024/1225

दिनांक:-31/01/24

:- सूचना :-

समस्त प्रधानाचार्य/संचालक
राजकीय एवं निजी आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक
मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में बी0ए0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं एवं संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र व छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय से पृच्छा किया जा रहा था कि परीक्षा में फेल हुए छात्र पूरक परीक्षा के परीक्षा परिणाम आने तक अथवा पूरक परीक्षा में भी फेल हुए छात्र किस क्लास में पढाई करेंगे, के सम्बन्ध में दिनांक-30.01.2024 को सम्पन्न हुई विश्वविद्यालय के मा0 विद्या परिषद के बैठक में निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

"मा0 विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 व बी0 एच0एम0एस0 की परीक्षा में दो विषयों में फेल छात्रों को नियमित सत्र (रेग्यूलर बैच) के साथ क्लास करने की अनुमति होगी तथा दो से अधिक विषयों में फेल हुए छात्रों की पूरक परीक्षा में पास होने के उपरान्त नियमित सत्र (रेग्यूलर बैच) के साथ क्लास करेंगे तथा 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करने हेतु पीछे से आने वाले बैच के साथ क्लास करेंगे।"

अतः उक्त निर्णय के क्रम में परीक्षा एवं पूरक परीक्षा में फेल हुए छात्रों को उक्तानुसार क्लास में पढाई के लिये बैठना सुनिश्चित करें। नियमित सत्र (रेग्यूलर बैच) से तात्पर्य अनुत्तीर्ण छात्र के मूल बैच से है।


31/01/24
(आर0 बी0 सिंह)
कुलसचिव



(ix) विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन- (ए) मूल्यांकन प्रणाली उम्मीदवार के कौशल का आकलन करेगी, जबकि एक उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करेगी कि इन प्रक्रियाओं के सफल सीखने से उम्मीदवारों को अपने वास्तविक अभ्यास में इसका संचालन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(बी) मूल्यांकन प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभाग/यक्ष द्वारा किया जाएगा और रिपोर्टों को अनुलग्नक-1 के तहत प्रपत्र-1 में संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

(सी) सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य परिभाषीविशिखानुप्रवेश के एक वर्ष के पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख संबंधित तेनाती के अंत में विभिन्न विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए अनुलग्नक-1 के तहत निर्धारित प्रपत्र-1 में सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करते हैं और यदि संतोषजनक पाए जाते हैं, तो प्रशिक्षु को 7 कार्य दिवसों के भीतर अनुलग्नक-2 के तहत प्रपत्र-2 में विशिखानुप्रवेश पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(डी) यदि किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन अनुलग्नक-2 के तहत फॉर्म-2 के अनुसार पंद्रह अंक से कम या पचास प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर असंतोषजनक घोषित किया जाता है। इंटरशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या में से। अकों की, किसी भी विभाग में मूल्यांकन में उसे संबंधित विभाग में तीस प्रतिशत की अवधि के लिए पोस्टिंग दोहराना आवश्यक होगा। इंटरशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या में से।

(इ) उम्मीदवार को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष और संस्थान के प्रमुख को अलग-अलग मूल्यांकन के संचालन और अंक प्रदान करने के किसी भी पहलू में अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, और ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर, संस्था के प्रमुख संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से शिकायत का समाधान और निपटान सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण करेंगे।

(X) प्रशिक्षणार्थी के लिए अवकाश - (ए) एक वर्ष की अनिवार्य परिभाषीविशिखानुप्रवेश के दौरान, 12 अवकाश की अनुमति दी जाती है और 12 दिनों से परे किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(बी) प्रशिक्षणार्थी एक समय में किसी भी प्रकार की अवकाश के समय, पहले या बाद में 6 दिनों से अधिक समय नहीं ले सकता है।

(xi) विशिखानुप्रवेश का पूरा होना यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विशिखानुप्रवेश के दौरान विशिखानुप्रवेश शुरू होने में कोई देरी या असामान्य अवरोध, तो ऐसे मामलों में विशिखानुप्रवेश अवधि तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक बी.ए.एम.एस. की योग्यता परीक्षा पास करने की तारीख से तीन साल की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। बी.ए.एम.एस. जिसमें पहले और दूसरे व्यवसायिक विषय और 9 ऐच्छिक शामिल हैं, विशिखानुप्रवेश के लिए पात्रता के रूप में निर्दिष्ट है।

बशर्त कि ऐसे मामलों में, छात्र को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में संस्था के प्रमुख से पूर्व अनुमति प्राप्त होगी और यह संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह दस्तावेजों की जांच करे, और अनुमति पत्र जारी करने से पहले अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करे और विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के दौरान, छात्र सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करेगा, और उप-विनियमन (ए) में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज और उप-विनियमन (डी) में उल्लिखित विशिखानुप्रवेश अभिन्यास कार्यक्रम से गुजरते हैं।

16 शिक्षा शुल्क- संबंधित शासी या शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित और निर्धारित शिक्षा शुल्क जैसा कि लागू होता है, केवल साढ़े चार वर्षों के लिए लिया जाएगा और परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसी संस्थान में विशिखानुप्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

17. शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं और अनुभव- (ए) आवश्यक अर्हता-(i) किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधी या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या अधिनियम के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता;

(iii) संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र;

"यह गैर-चिकित्सा योग्यता के शिक्षकों के लिए लागू नहीं है."

(iv) संस्कृत के शिक्षक के लिए अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और स्नातक स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार और संस्कृत में एमए को प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक डिग्री रखने वाले और अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) के अनुसार प्रासंगिक आधुनिक विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर करने वाले और जैसा कि उल्लिखित इन विनियमों में से अनुभाग 10 का उल्लेख किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

7